कण्ट्रोल बोर्ड की चुनाव समिति के वर्तमान अध्यक्ष देश के बाहर चले गये और उनकी सुविधा के लिए द्वितीय टैस्ट के लिए खिलाड़ियों का चुनाव निश्चित तिथि से दो दिन पहले किया गया तथा तृतीय टैस्ट के लिए चुनाव उनकी अनुपस्थिति में हुआ ;

(ख) क्या यह भी सही है कि खेल परिषद् की सिफारिशों के अनुसार खिलाड़ियों को चुनाव समिति में केवल प्रथम श्रेणी के भूतपूर्व खिलाड़ी ही होने चाहिएं और किसी व्यक्ति को एक ही समय पर दो विभिन्न खेल संस्थाओं के निर्वाचित पदों पर नहीं रहना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां।

(ख) अखिल भारतीय खेल परिषद् ने सिफारिश की है कि खिलाड़ियों, विशषे रूप से अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का चयन करने के लिए समितियों में वही व्यक्ति होने चाहिएं जो उस खेल की जानकारी के लिए भारत में प्रख्यात हों। परिषद् ने यह भी सिफारिश की है कि किसी राष्ट्रीय खेल संघ का कोई पदाधिकारी एक ही समय में किसी अन्य खेल संघ का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए ।

(ग) भारत सरकार ने परिषद् की उपयुक्त सिफारिश स्वीकार कर ली हैं और इन सिफारिशों को क्रियान्विति के लिए सभी राष्ट्रीय खेल संघों के पास शीघ्र ही भेजा जाएगा ।

Employees of Ministry of Home Affairs

1458. Shri P. R. Chakraverti: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of complaints relating to (i) corruption, (ii) misconduct and (iii) misuse of official position, received against the employees and officers of the Ministry of Home Affairs during 1963-64 and 1964-65 so far; and

(b) the action taken by Government on those complaints?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) During 1963-64, there were 3 complaints of corruption, 15 of misconduct and 1 of misuse of official position. During 1964-65 so far, there have been 4 complaints of corruption, 4 of misconduct and 2 of misuse of official position.

(b) Departmental action was taken in 20 cases. One case is pending in a court of Law. The remaining complaints were found to be either vague or baseless.

दिल्ली नगर निगम का कार्य

1459. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के कार्यों की जांच कराने के लिए एक समिति नियुक्त करने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस जांच समिति के सदस्यों के नाम और निर्देश पद क्या हैं ; और

(ग) इस समिति की रिपोर्ट कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम के वित्तीय साधनों और आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

Pay Commission for Delhi School Teachers

1460. Shri D. C. Sharma: Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether the question of appointing a Special Pay Commission